

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/सांवि०पदा०-38/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० छोटेलाल राम, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहदेई बुजुर्ग, वैशाली सम्प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिरपैती, भागलपुर के दिनांक-01.08.2020 से 27.12.2020 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2177(25) दिनांक-09.11.2023 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230, 232 एवं 234 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है:-

(i)	दिनांक-01.08.2020 से 17.12.2020 तक	-	कुल-139 (एक सौ उनचालीस) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
(ii)	दिनांक-18.12.2020 से 27.12.2020 तक	-	कुल-10 (दस) दिन (20 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) रूपान्तरित अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक-2/सांवि०पदा०-38/2024- 2177(2) पटना, दिनांक 10/07/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहदेई बुजुर्ग, वैशाली/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिरपैती, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/डा० छोटेलाल राम, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिरपैती, भागलपुर को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।